



## WUEGA का अधनियम: महलि शहरी रोज़गार गारंटी अधनियम

यह एडटिलेरियल 04/03/2024 को 'द हैट्स' में प्रकाशित "A women's urban employment guarantee act" लेख पर आधारित है। इसमें एक राष्ट्रीय स्तर के महलि शहरी रोज़गार गारंटी अधनियम (WUEGA) की संभावना पर चियाकथित जानकारी दी गयी है।

### प्रलिमिस के लिये:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधनियम (MGNREGA), बेरोज़गारी दर, आवधकि शरम बल सर्वेक्षण (PLFS), अयंकाली शहरी रोज़गार गारंटी योजना (AUEGS), मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मशिन (DAY-NULM), पीएम स्ट्रीट वैडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi)।

### मेन्स के लिये:

महलि शहरी रोज़गार गारंटी अधनियम (WUEGA) - आवश्यकता एवं संभावित चुनौतियाँ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act- MGNREGA) अकुशल शारीरिक कार्य के लिये प्रतिवर्ष कम से कम 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में महलिओं को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने में सहायता देता है। इस प्रदान के लिये एक राष्ट्रीय महलि शहरी रोज़गार गारंटी अधनियम (Women's Urban Employment Guarantee Act- WUEGA) का प्रस्ताव किया गया है।

शहरी क्षेत्रों में बेरोज़गारी दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, जो शहरी महलिओं के बीच रोज़गार की उच्च अपूरण मांग को दर्शाती है। इस प्रदान के लिये एक राष्ट्रीय महलि शहरी रोज़गार गारंटी अधनियम (Women's Urban Employment Guarantee Act- WUEGA) का प्रस्ताव किया गया है।


### प्रस्तावित महलि शहरी रोज़गार गारंटी अधनियम (WUEGA):

- परिचय:** महलि शहरी रोज़गार गारंटी अधनियम (WUEGA) एक प्रस्तावित विधिन है जिसका उद्देश्य शहरी बेरोज़गारी को, विशेष रूप से महलिओं के लिये, संबोधित करना है। यह विशेष रूप से शहरी महलिओं के लिये रोज़गार के अवसरों की गारंटी देने की मंशा रखता है।
- उद्देश्य:** WUEGA का लक्ष्य शहरों में पुरुषों और महलिओं के बीच रोज़गार के अवसरों में अंतराल को दूर करना होगा। WUEGA एक सुरक्षा जाल (safety net) और आय सुरक्षा प्रदान करने के माध्यम से महलिओं को सशक्त बनाने और शहरी कार्यबल में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा।
- संभावित विशेषताएँ:**
  - रोज़गार की गारंटी:** WUEGA महलिओं को प्रतिवर्ष न्यूनतम कार्यदिविस (उदाहरण के लिये, 150 दिन) की गारंटी देने का प्रस्ताव करता है।
  - स्थानीय कार्य:** महलि के नवास से उचित दूरी (जैसे, 5 किमी) के भीतर कार्य अवसर सृजति किये जाएँगे।
  - अभियान अवसंरचना:** कामकाजी माताओं के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का समाधान करने के लिये कार्यस्थलों पर बाल देखभाल केंद्रों जैसी आवश्यक सुविधाओं के प्रावधान भी शामिल हो सकते हैं।
  - कौशल विकास:** प्रस्ताव में उपलब्ध कार्य अवसरों और आवेदक समूह में महलिओं की योग्यता के बीच कस्ती भी कौशल अंतराल को दूर करने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल हो सकते हैं।
  - महलि-नेतृत्वकारी प्रबंधन:** यह प्रस्ताव करता है कि WUEGA प्रबंधन कर्मचारियों में एक उल्लेखनीय भाग महलिओं का हो; WUEGA के अंतर्गत कार्यक्रम प्रबंधन कर्मचारी की कम से कम 50% (आदरश रूप से 100%) महलिओं हो।
  - समर्थनकारी उपाय:** कल्याण बोर्डों में स्वचालित समावेशन जैसे प्रोत्साहन उपाय अपनाये जा सकते हैं; ये मातृत्व अधिकार और पेशन प्रदान करने वाली एजेंसियों के रूप में कार्य कर सकते हैं तथा आपातकालीन निधि के लिये स्रोत के रूप में कार्य कर सकते हैं।

### महलि शहरी रोज़गार गारंटी अधनियम (WUEGA) की आवश्यकता क्यों है?

- शहरी रोज़गार में लैंगिक असमानताएँ:

- शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों में परायः लगि-आधारति असमानताएँ देखी जाती हैं। [आवधकि श्रम बल सर्वेक्षण \(PLFS\)](#) के अनुसार, वर्ष 2023 की अंतिम तमाही में केवल 22.9% शहरी महलियाँ ही कार्यरत थीं।
  - शहरी क्षेत्रों में कार्यबल से बाहर मौजूद महलियाँ (15-59 आयु वर्ग) की संख्या लगभग 10.18 करोड़ है।
  - मौजूदा शहरी रोज़गार योजनाएँ महलियों के समक्ष विद्यमान इन वशिष्ट चुनौतियों को उपयुक्त रूप से संबोधित नहीं करती हैं।
- **आरथकि सशक्तीकरण और सतत विकास लक्ष्य:**
  - WUEGA शहरी महलियों को गरंटीकृत रोज़गार के अवसर प्रदान कर सशक्त बनाएगा। न्यूनतम कार्यदविस सुनिश्चित करने से यह महलियों को अपने घरों और समुदायों में योगदान कर सकने में सक्षम बनाता है।
  - लैंगिक समानता और आरथकि सशक्तीकरण सहति सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये महलियों के रोज़गार को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है।
- **बच्चों की देखभाल और समर्थनकारी अवसंरचना:**
  - शहरी महलियों के बीच शक्तिशाली के उच्च स्तर के बावजूद सामाजिक मानदंडों, सुरक्षा चतियों और परविहन तक सीमित पहुँच जैसे वभिन्न कारकों के कारण कार्यबल में उनकी भागीदारी कम बनी हुई है।
  - WUEGA कार्यस्थलों पर बाल देखभाल सुविधाओं की आवश्यकता पर बल देता है। ये प्रावधान महलियों को उनकी देखभाल संबंधी ज़मिमेदारियों से समझौता करिये बनाए रोज़गार में भाग ले सकने में सक्षम बनाते हैं।
- **सफल ग्रामीण रोज़गार योजनाओं से सबक लेना:**
  - WUEGA मनरेगा (MGNREGA) जैसी सफल ग्रामीण रोज़गार योजनाओं से प्रेरणा ग्रहण करते हुए शहरी संदर्भों के लिये सदृश मॉडल को अपना सकता है।
  - WUEGA मौजूदा ढाँचे और अनुभवों का लाभ उठाकर कार्यबल में महलियों की भागीदारी बढ़ाने के लिये सदिध रणनीतियों का निर्माण कर सकता है।
- **आरथकि वृद्धि और विकास की संभावना:**
  - महलियों की रोज़गार दर में वृद्धि श्रम शक्तिका वसितार और उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के रूप में आरथकि विकास के लिये उत्प्रेरक का कार्य कर सकती है।
  - WUEGA में शहरी महलियों की प्रतिभा एवं सक्षमताओं का उपयोग करते हुए व्यापक आरथकि विकास लक्ष्यों में योगदान कर सकने की क्षमता है।



# More Rural Women Return to Workforce than Urban Females

Female labour force participation in rural India recovered swiftly in the past five years; gradual increase for urban areas


 Rural    Urban



## Labour Force Participation Rate




## Steady fall in unemployment rate since FY 2018



महलिं शहरी रोज़गार गारंटी अधनियम (WUEGA) को लागू करने में संभावति चुनौतयाँ:

- वर्तितीय बोझः

- गारंटीकृत रोज़गार प्रदान करने से वेतन/मज़दूरी, अवसंरचना विकास (उदाहरण के लिये, कार्यस्थलों पर बाल देखभाल सुविधाएँ) और कार्यक्रम प्रशासन के संबंध में उल्लेखनीय लागत उत्पन्न होती है।
- उदाहरण के लिये, यदि 500 रुपए दैनिक मज़दूरी के साथ प्रतिवर्ष 150 दिनों के कार्य की कल्पना करें, जिसका वित्तीयोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाना है, तो इस पर **सकल घरेलू उत्पाद** का लगभग 1.5% व्यय करना होगा।
- **स्थानीय क्षेत्र में रोज़गार सुरक्षा:**
  - कसी महलियों के निवास से उचित दूरी (उदाहरण के लिये, 5 किमी) के भीतर प्रथापूर्ण विधि कार्य अवसर का सृजन करना, वशीष रूप से सघन आबादी वाले शहरों में, चुनौतीपूरण सदिध हो सकता है।
  - कार्यक्रम में उपयुक्त कार्य विकल्पों की अभिकल्पना के लिये स्थानीय आवश्यकताओं एवं आधारभूत संरचनाओं पर विचार करने की आवश्यकता होगी।
- **सुरक्षा संबंधी चिताएँ:**
  - शहरी परिवास में महलियों के लिये, वशीष रूप से कार्य के लिये आवागमन के दौरान, सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चिता का विषय है।
  - सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न या हासियों को रोज़गार के अवसर तलाशने से हतोत्साहित कर सकता है, जिससे कार्यबल में उनकी भागीदारी सीमित हो सकती है।
  - NCRB की वार्षिक अपराध रिपोर्ट 'भारत में अपराध 2022' के आँकड़ों के अनुसार, प्रति एक लाख जनसंख्या पर महलियों के विद्युत अपराध की दर 66.4 थी, जबकि ऐसे मामलों में आरोप पत्र दाखिल करने की दर 75.8 दर्ज की गई थी।
- **कौशल अंतराल:**
  - कई शहरी महलियों में औपचारिक रोज़गार के अवसरों के लिये आवश्यक कौशल एवं अनुभव की कमी हो सकती है।
  - गुणवत्तापूर्ण शक्ति और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक उनकी पहुँच सीमित हो सकती है, जिससे कौशल स्रतों में असमानताएँ उत्पन्न हो सकती हैं और महलियों की रोज़गार क्षमता (employability) में बाधा आ सकती है।
- **क्षमता निर्माण:**
  - सभी स्रतों पर कार्यकरम प्रबंधन में कम से कम 50% महलियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना आरंभ में कठनि सदिध हो सकता है।
  - कार्यक्रम के प्रबंधन के लिये एक सुदृढ़ महलियों का कार्यबल के निर्माण के लिये केंद्रति क्षमता-निर्माण पहल की आवश्यकता हो सकती है।
- **कानूनी और नौकरशाही संबंधी बाधाएँ:**
  - कुशल कार्यकरम कार्यान्वयन के लिये पंजीकरण, नौकरी आवंटन, शक्तियात निवारण एवं नगिरानी के प्रबंधन हेतु एक सुविधावस्थिति नौकरशाही की आवश्यकता होगी।
  - ऐसे व्यक्तियों या समूहों द्वारा वरिधि की स्थितिज्ञन सकती है जो प्रविर्तन के प्रतिरोधी हैं और यथास्थितिज्ञन रखने की वकालत करते हैं। यह महलियों के रोज़गार अधिकारों को बढ़ाने के उद्देश्य से कानून के पारति होने में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- **सामाजिक मानदंड और लैंगिक रुद्धिविद्वता:**
  - गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक अपेक्षाएँ कार्यबल में महलियों की बढ़ती भागीदारी को स्वीकार करने में बाधक बन सकती हैं, वशीष रूप से शहरी क्षेत्रों में जहाँ परंपराकि लगि भूमिकाएँ अधिक प्रकट हैं।
  - देखभालकर्ता या गृहणी के रूप में महलियों की भूमिकाओं के संबंध में प्रचलित रुद्धिविद्वता औपचारिक रोज़गार में उनकी भागीदारी के लिये प्रतिरोध पैदा कर सकती है।



**भारत में शहरी रोज़गार के लिये की गई सरकारी पहलें:**

- केंद्र सरकार द्वारा:
  - दीनद्याल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मशिन (DAY-NULM)
  - प्रधानमंत्री स्ट्रीट बैंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम SVANidhi)
- राज्य सरकारों द्वारा:
  - केरल देश के पहले राज्यों में से एक था जिसने '**अयंकाली शहरी रोजगार गरंटी योजना**' (**Ayyankali Urban Employment Guarantee Scheme- AUEGS**) के माध्यम से 100 व्यक्ति-दिविस का गारंटीकृत वेतन रोजगार प्रदान किया था, जसि वर्ष 2011 में लॉन्च किया गया था। योजना दिशानिर्देशों के अनुसार केरल में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को महलियों को इस प्रकार प्राथमिकता देने की आवश्यकता है कि वे योजना के लाभार्थियों में कम से कम 50% हसिसेदारी रखती हों।
  - हमिचल प्रदेश की **मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गरंटी योजना** वर्ष 2020 में लॉन्च की गई जो एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परविवाह को 120 दिनों की गारंटीकृत वेतन रोजगार प्रदान करने के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने पर लक्ष्यित है।
  - झारखण्ड में **मुख्यमंत्री शर्मकी योजना** वर्ष 2020 में लॉन्च की गई जो एक वित्तीय वर्ष में गारंटीकृत 100 दिन का वेतन रोजगार प्रदान कर राज्य में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने पर लक्ष्यित है।

## WUEGA के प्रभावी अधिनियमन के लिये आगे की राह:

- लंगि-वभिदीकृत डेटा एकत्रित करना:
  - लंगि-वभिदीकृत डेटा (Gender-disaggregated data) नीति निरिमाताओं को शहरी महलियों के समक्ष रोजगार तक पहुँच और कार्यरत बने रहने में विद्यमान विशिष्ट चुनौतियों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टिप्रदान करता है।
  - संग्रहति डेटा में पसंद की जाती नौकरियों के रुझान, वर्ष के वे दिन जब महलियाँ इन कार्य अवसरों से संलग्न होती हैं, योजना का चयन करने वाली महलियों की शक्तिका स्तर इत्यादि को दर्ज किया जाना चाहिये।
- लैंगिक दृष्टिसे शहरी रोजगार योजना तैयार करना:
  - महली शहरी रोजगार गरंटी अधिनियम (डबलयूयूईजीए) को एक सर्वव्यापी कानून के रूप में प्रारूपित किया जाए, जो लंगि-वभिदीकृत डेटा के आधार पर सरकार और प्राप्तकर्ताओं दोनों के अधिकारों, विशिष्टकारों एवं उत्तरदायितियों को निरूपित करता हो।
  - विधान में समान कार्य के लिये समान वेतन अनविवार्य किया जाना चाहिये, जहाँ यह सुनिश्चित करना चाहिये कि महलियों को समान कार्य भूमिकाओं एवं ज़ामिमेदारियों के लिये अपने पुरुष समकक्षों के समान वेतन प्राप्त हो।
- संसाधन आवंटन और क्षमता निरिमाण:
  - WUEGA के कार्यान्वयन के लिये प्रयाप्त वित्तीय संसाधन आवंटित किया जाए ताकि वेतन, प्रशासनिक व्यय, अवसंरचना विकास और क्षमता निरिमाण पहल के लिये प्रयाप्त धन उपलब्ध हो।
  - WUEGA के प्रभावी कार्यान्वयन एवं प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिये सरकारी अधिकारियों, कार्यक्रम प्रशासकों और लाभार्थियों के लिये प्रशिक्षण एवं क्षमता निरिमाण कार्यक्रम प्रदान किया जाए।
- कार्यान्वयन के लिये चरणबद्ध दृष्टिकोण:
  - WUEGA को लागू करने की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिये चुनिदा शहरी क्षेत्रों में पायलट कार्यक्रम शुरू किया जाए। विभिन्न शहरी क्षेत्रों की तैयारी का आकलन करने और संभावित चुनौतियों एवं अवसरों की पहचान करने के लिये व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित किया जाए।
  - WUEGA का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाए। इसका आरंभ शहरी क्षेत्रों से हो जहाँ अवसंरचना एवं समर्थनकारी प्रणालियाँ अपेक्षाकृत सुविकसित होती हैं और फिर धीरे-धीरे इसे अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किया जाए।
- कार्यान्वयन की प्रगतिकी निगरानी करना:
  - रोजगार सृजन, आय वृद्धि और कौशल विकास जैसे परणिमाओं पर ध्यान देने के साथ कार्यान्वयन की प्रगतिकी निगरानी करने, कार्यक्रम की प्रभावशीलता का आकलन करने तथा सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिये सुदृढ़ निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र स्थापित किया जाए।
- सुरक्षा संबंधी चित्तियों का समाधान करना:
  - सुरक्षा चित्तियों को कम करने और अधिक कार्यबल भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये सार्वजनिक स्थानों पर महलियों की सुरक्षा बढ़ाने के उपाय लागू किये जाएं, जिनमें प्रयाप्त प्रकाश व्यवस्था, निगरानी प्रणाली एवं पुलसि गश्त बढ़ाना शामिल है।
- महली उद्यमियों का समर्थन करना:
  - महली उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के लिये सहायता एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जाए, जिसमें वित्तीय संसाधनों, परामर्श कार्यकर्मों एवं नेटवर्किंग अवसरों तक पहुँच शामिल है, ताकि रोजगार और आरथिक सशक्तीकरण के लिये वैकल्पिक अवसर सृजित किये जा सकें।
- साझेदारी और सहयोग:
  - नागरिक समाज संगठनों, सामुदायिक समूहों, नजीि क्षेत्र के हतिधारकों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साझेदारी का निरिमाण किया जाए।
- जागरूकता बढ़ाना और दृष्टिकोण में बदलाव लाना:
  - लैंगिक रुद्धिविद्या को चुनौती देने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और कार्यबल में महलियों की भूमिकाओं एवं क्षमताओं के प्रतिसामाजिक दृष्टिकोण को बदलने के लिये जागरूकता अभियान एवं संवेदीकरण कार्यक्रम संचालित किये जाएं।

## निष्कर्ष:

भारत का संविधान समानता एवं सामाजिक न्याय के सदिधांतों का समर्थन करता है, जहाँ रोजगार में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिये सकारात्मक कार्रवाई का उपबंध किया गया है। WUEGA को लागू करना लैंगिक समानता और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के इन संवेदानिक अधिदिशों एवं और नैतिक दायतियों के अनुरूप है।

**अभ्यास प्रश्न:** भारत में महलिआं की शहरी रोज़गार गारंटी अधनियम को लागू करने की आवश्यकता और आगे की राह की संभावति बाधाओं पर वचार कीजयि । देश में महलिआं के प्रभावी आरथकि सशक्तीकरण हेतु आवश्यक रणनीतियाँ बताइये ।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवका मशिन ग्रामीण कषेत्रीय नरिधनों के आजीवका वकिलणों को सुधारने का कसि प्रकार प्रयास करता है? (2012)

1. ग्रामीण कषेतरों में बड़ी संख्या में नए वनिर्माण उद्योग तथा कृषिव्यापार केंद्र स्थापति कर ।
2. 'सब-सहायता समूहों' को सशक्त बनाकर और कौशल वकिस की सुवधाएँ प्रदान कर ।
3. कृषकों को निःशुल्क बीज, उर्वरक, डीज़ल पंपसेट तथा लघु संचाइ संयंत्र देकर ।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनायि:

- (a) केवल 1 और 2  
(b) केवल 2  
(c) केवल 1 और 3  
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

प्र. भारत में महलिआं की सशक्तीकरण प्रक्रयि में 'गणि इकोनॉमी' की भूमिका का परीक्षण कीजयि । (2021)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/enact-wuega-women-s-urban-employment-guarantee-act>

